

रजिस्टर्ड नं० पी०/एस० एम० १४



# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

## (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 28 जून, 1980/7 आषाढ़, 1902

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 26 जून, 1980

क्रमांक एल०एल०आर०डी०-(6)44/79.—हिमाचल प्रदेश भूतपूर्व सैनिक निगम विधेयक, 1979 (1979 का विधेयक संख्यांक 34) को 'भारत के संविधान' के अनुच्छेद 201 के अधीन दिनांक 8 जून, 1980 को राष्ट्रपति

की स्वीकृति के उपरान्त उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ, जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 348 की धारा (3) में अपेक्षित है, के सहित एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में 1980 का अधिनियम संख्यांक 8 के रूप में प्रकाशित किया जाता है।

जय चन्द मल्होत्रा,  
सचिव ।

## 1980 का अधिनियम 8

## हिमाचल प्रदेश भूतपूर्व सैनिक निगम अधिनियम, 1979

हिमाचल प्रदेश भूतपूर्व सैनिक निगम की स्थापना के लिए  
अधिनियम

भारत गणराज्य के तीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया जाता है:—

## अध्याय I

## प्रारम्भिक

1. (1) यह अधिनियम हिमाचल प्रदेश भूतपूर्व सैनिक निगम अधिनियम, 1979 संक्षिप्त  
कहा जा सकेगा । नाम और  
(2) यह उस तिथि को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, शासकीय राजपत्र में प्रारम्भ ।  
अधिसूचना द्वारा इस सम्बन्ध में, निश्चित करे ।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि विषय या मंदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,— परिभाषाएं।

(क) “कृषि विकास” में दुग्ध उद्योग, मुर्गी पालन, शूकर पालन, भेड़ तथा पशु-पालन, मत्स्य-पालन और रेगम कीट पालन का विकास शामिल हैं ;

(ख) “बैंक” से अभिप्रेत है—

- |               |   |
|---------------|---|
| 1949 का<br>10 | (I) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 में परिभाषित बैंककारी कम्पनी;  |
| 1955 का<br>23 | (II) भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत गठित, भारतीय स्टेट बैंक;                                   |
| 1959 का<br>38 | (III) भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 में परिभाषित समनुषंगी बैंक ;                          |
| 1976 का<br>21 | (IV) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत स्थापित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ;                      |
| 1970 का<br>5  | (V) बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 के अधीन गठित तत्सम नया बैंक ;               |
| 1949 का<br>10 | (VI) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 51 के अध्वधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा उद्घोषित बैंककारी संस्था ; |
| 1963 का<br>10 | (VII) कृषि पुनर्वित्त एवं विकास निगम अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत गठित कृषि पुनर्वित्त एवं विकास निगम ;        |



- (VIII) हिमाचल प्रदेश कृषि ऋण प्रचालन तथा प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1972 की धारा 2 के खण्ड (सी) में परिभाषित कृषि उद्योग निगम; 1973 का 7, 1954 का 1
- (IX) कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन निगमित कृषि वित्तीय निगम लिमिटेड; और
- (X) कोई भी अन्य ऐसी वित्तीय संस्था जिसे इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये, राज्य सरकार ने शासकीय राजपत्र में बैंक उद्घोषित किया हो।
- (ग) "बोर्ड" से अभिप्राय निगम के निदेशकों के बोर्ड से है;
- (घ) "अध्यक्ष" तथा "उपाध्यक्ष" से अभिप्राय निगम के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष से है;
- (ङ) "निगम" से अभिप्राय धारा 3 के अधीन स्थापित हिमाचल प्रदेश भूतपूर्व सैनिक निगम से है;
- (च) "भूतपूर्व सैनिक" से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जो साधारणतया हिमाचल प्रदेश राज्य में निवास करता है और जिसने किसी भी ओहदे पर योद्धा या अयुद्धकारी के तौर पर भारतीय सशस्त्र सेना में या भूतपूर्व भारतीय राज्यों की सशस्त्र सेना में (परन्तु आसाम राईफल, रक्षा-सुरक्षा-सेवा, सानान्य आरक्षित इंजीनियरी सेना, लोक सहायक-सेना और प्रादेशिक सेना को छोड़ कर) अनुग्रहण के बाद लगातार कम से कम छः मास की अवधि के लिए सेवा की हो और जिसे दुराचार या अकुशलता के कारण बर्खास्त या पदच्युत करने के बजाये अन्यथा सेवा मुक्त किया गया हो और मृत या असमर्थ भूतपूर्व सैनिक की स्थिति में उसकी पत्नी, बच्चे, माता, पिता, अवयस्क भाई, विधवा लड़की और विधवा बहिन जो कि उसकी मृत्यु या असमर्थ होने से तुरन्त पूर्व ऐसे भूतपूर्व सैनिक पर पूर्णतया आश्रित था या थी, भी इसमें आता है;
- (ज) "भूतपूर्व सैनिक संगठन" से अभिप्राय भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के अधीन पंजीकृत फर्म, सोसाईटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन पंजीकृत कोई संस्था या हिमाचल प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1968 के अधीन पंजीकृत सहकारी समिति से है जिसके सभी भागीदार या सदस्य, यथास्थिति, भूतपूर्व सैनिक हों; 1932 का 9, 1860 का 21, 1969 का 3
- (झ) "सरकार" से हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार अभिप्रेत है;
- (ञ) "प्रबन्ध निदेशक" से अभिप्राय निगम के प्रबन्ध निदेशक है;
- (ञ) "उधार प्रति भूविधन" से अभिप्राय उस धन से है जोकि वित्तीय बैंककारी संस्थाओं और अन्य संगठनों द्वारा वित्तीय सहायता देने के लिए हिमाचल प्रदेश के हिस्से के तौर पर अपेक्षित हो;
- (ट) "विपणन" से अभिप्राय कृषि अथवा औद्योगिक उत्पादन के यातायात, श्रेणीकरण, एकत्रीकरण, विपणन तथा बिक्री से सम्बन्धित सभी गतिविधियों से है चाहे वे प्रारम्भिक रूप में हों या अर्ध-संसाधित या संसाधित अवस्था में हो;

- (ठ) "बिहित" से अभिप्राय इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित से है ;
- (ड) "संसाधन" से अभिप्राय कृषि उत्पादन के संसाधन से सम्बन्धित उन सभी गतिविधियों से है जिन से कृषि उत्पादन को विपणन अथवा उपभोग के उपयुक्त बनाया जाए तथा इसमें परिष्कृत उत्पादन के संसाधन तथा संग्रहण के लिए अपेक्षित कच्चे माल की खरीद तथा संग्रहण उपस्करों की खरीद तथा मशीनों की खरीद, संस्थापन और मंचालन शामिल हैं ;
- (ढ) "लघु-उद्योग" से अभिप्राय कुटीर और लघु उद्योग से हैं और इसमें कृषि सम्बन्धी मशीनों और उपस्करों के निर्माण, मरम्मत और चालू रखने में रत ऐसा उद्योग भी सम्मिलित है जिस पर पूंजीगत निवेश पांच लाख रुपये से अधिक न हो ; और
- (ण) "आपूर्ति और संग्रहण" से अभिप्राय कृषि निवेशों की आपूर्ति तथा संग्रहण एवं संग्रहागारों, शीतगारों तथा मालगोदामों की स्थापना, अनुरक्षण और संचालन से है ।

## अध्याय II

### हिमाचल प्रदेश भूतपूर्व सैनिक निगम की स्थापना तथा इसकी पूंजी

3. (1) उस तिथि से, जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा निश्चित करे, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए हिमाचल प्रदेश भूतपूर्व सैनिक निगम के नाम से जात एक निगम की स्थापना की जाएगी ।

हिमाचल प्रदेश भूत-पूर्व सैनिक निगम की स्थापना ।

(2) निगम पूर्वोक्त नाम वाला एक निगमित निकाय होगा, जिसका शाश्वत उत्तराधिकार तथा सामान्य मद्रा होगी, जिसे इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए सम्पत्ति का अर्जन करने, उसे धारण करने और उसका व्ययन करने एवं संविदा करने की शक्ति होगी, तथा उक्त नाम से वह वाद ला सकता है और उस पर वाद लाया जा सकता है ।

4. (1) निगम का मुख्य कार्यालय शिमला में या किसी अन्य ऐसे स्थान पर होगा जैसा कि सरकार, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे ।

निगम का मुख्यालय तथा अन्य कार्यालय ।

(2) निगम अपने कार्यालय या अभिकरण ऐसे स्थानों पर, जैसाकि वह उचित समझे, स्थापित कर सकता है ।

5 निगम की प्राधिकृत पूंजी उतनी राशि होगी, जोकि दो करोड़ से अधिक न हो, जैसे कि राज्य सरकार आरम्भ में नियत करे:

निगम की पूंजी ।

परन्तु यदि आरम्भिक नियत पूंजी दो करोड़ रुपये से कम हो तो, राज्य सरकार, समय-समय पर, जैसे कि उपयुक्त समझे, पूंजी को उस राशि तक बढ़ा सकती है जो दो करोड़ रुपये से अधिक न हो ।

**स्पष्टीकरण.**—इस धारा के प्रयोजनों के लिए "प्राधिकृत पूंजी" में विशेष प्रयोजनों के लिए निगम द्वारा प्राप्त अनुदान सम्मिलित नहीं होंगे ।

## अध्याय III

## निगम का प्रबन्ध

प्रबन्ध ।

6. (1) निगम के कारोबार तथा कार्यकलापों का सामान्य अधीक्षण, निर्देशन तथा प्रबन्ध निदेशकों के बोर्ड को सौंपा जायेगा जो सभी ऐसी शक्तियों को प्रयोग में ला सकेगा और ऐसे सभी कार्य व बातें कर सकेगा जो इस अधिनियम के अधीन निगम द्वारा प्रयोग में लाई जा सकती हों या की जा सकती हों ।

(2) बोर्ड अपने कृत्यों का निर्वहन करते समय लोक-हित, भूतपूर्व सैनिकों/सेवारत सैनिकों तथा उनके परिवारों के कल्याण को ध्यान में रखते हुये ऐसे सिद्धान्तों का पालन करेगा जोकि सरकार की नीति के अनुरूप हों और नीति के प्रश्न पर ऐसे अनूदेशों, जैसे कि राज्य सरकार द्वारा इसे दिये जायें, द्वारा मार्गदर्शित होगा ।

(3) यदि कोई ऐसा सन्देह उत्पन्न होता है कि क्या कोई प्रश्न नीति का प्रश्न है या नहीं तो उस पर राज्य सरकार का निर्णय अन्तिम होगा ।

बोर्ड का  
गठन ।

7. (1) निदेशकों के बोर्ड में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रबन्ध निदेशक तथा निम्नलिखित अन्य निदेशक निहित होंगे, अर्थात्,—

(क) सामान्य प्रशासन विभाग में सरकारी सचिव अथवा उस द्वारा पदेन, नामित व्यक्ति ;

(ख) वित्त विभाग में सरकारी सचिव अथवा उस द्वारा पदेन नामित व्यक्ति ;

(ग) कृषि उत्पादन आयुक्त, हिमाचल प्रदेश, अथवा उस द्वारा पदेन नामित व्यक्ति ;

(घ) निदेशक उद्योग विभाग, हिमाचल प्रदेश, अथवा उस द्वारा पदेन नामित व्यक्ति ;

(ङ) चार अन्य निदेशक जो कि सरकार द्वारा नामित किये जायेंगे, जिनमें से दो भूतपूर्व सैनिक संगठन (सहकारी समिति को छोड़ कर) के प्रतिनिधि होंगे तथा एक भूतपूर्व सैनिक सहकारी समिति का प्रतिनिधि होगा ।

(2) अध्यक्ष ऐसा भूतपूर्व सैनिक होगा जिसने अपने सेवा काल में प्रथम श्रेणी के पद पर कार्य किया हो, उपाध्यक्ष एक गैर सरकारी व्यक्ति होगा तथा प्रबन्ध निदेशक ऐसा व्यक्ति होगा जो कि राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार में प्रथम श्रेणी के पद पर कार्य कर रहा हो, अथवा कार्य करता रहा हो, तथा उनकी नियुक्ति सरकार द्वारा वेतन तथा भत्तों सहित ऐसे निबन्धनों एवं शर्तों पर, जैसे कि विहित किया जाए, की जा सकती है ।

(3) उप-धारा (1) के खण्ड (ङ) में निर्दिष्ट निदेशकों के वेतन एवं भत्तों सहित सेवा की शर्तें तथा अवधि वैसी होंगी जैसे विहित किया जाए ।

(4) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रबन्ध निदेशक तथा उप-धारा (1) के खण्ड (ङ) में निर्दिष्ट निदेशकों के पद की अवधि दो वर्ष होगी तथा वे पुनः नियुक्ति के पात्र होंगे ।

(5) वे परिस्थितियां जिनके अधीन अध्यक्ष, उपाध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक तथा उप-धारा (1) के खण्ड (ड) में निर्दिष्ट अन्य निदेशकों को उनके पद की अवधि के दौरान पद से हटाया जा सकेगा, वही होंगी जो विहित की जाएं।

8. (1) कोई व्यक्ति निगम का निदेशक नियुक्त किये जाने अथवा मनोनीत किये जाने या बने रहने के लिए निरहित होगा—

- (क) यदि वह किसी भी समय दिवालिया न्याय निर्णीत किया गया हो, या उसने अपने ऋणों का भुगतान न किया हो, या उसने अपने लेनदारों से प्रशमन किया हो ;
- (ख) यदि वह विकृतचित है और उसके ऐसा होने की सक्षम न्यायालय की घोषणा विद्यमान है ;
- (ग) यदि वह किसी ऐसे अपराध के लिए दोष सिद्ध है या दंडित किया गया है जो राज्य सरकार के विचार में नैतिक अधमता के अन्तर्गत आता हो ;
- (घ) यदि उसे किसी राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार, किसी स्थानीय प्राधिकारी, किसी सरकारी कम्पनी या राज्य सरकार के स्वामित्वधीन या द्वारा नियन्त्रित किसी निगमित निकाय में पद धारण करते हुए सेवा से पदच्युत या हटाया गया हो; अथवा
- (ङ) यदि उसे सरकार द्वारा हटाया गया हो।

(2) यदि कोई निदेशक उप-धारा (1) में निर्दिष्ट कोई निरहता से ग्रहस्त हो जाता है तो उसका पद तत्पश्चात् रिक्त हो जायेगा।

9. (1) प्रबन्ध निदेशक, जो कि निगम का पूर्णकालिक अधिकारी भी होगा —

- (क) इसका मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा ;
- (ख) निगम के क्रियात्मक प्रबन्ध तथा बोर्ड द्वारा अनुमोदित सामान्य नीतियों का कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होगा ;
- (ग) ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जो निगम, विनियमों द्वारा, या अन्यथा, उसे सौंपे।

प्रबन्ध निदेशक की शक्तियां।

(2) यदि प्रबन्ध निदेशक अंग-शैथिल्य के कारण अथवा अन्यथा अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो जाता है अथवा अवकाश पर होने के कारण या अन्यथा अनुपस्थित है और परिस्थितियां ऐसी हैं जिस से उसकी नियुक्ति रिक्त नहीं होती, तो उरकार उसकी अनुपस्थिति के दौरान उसके स्थान पर कार्य करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त कर सकती है।

10. बोर्ड ऐसे अधिकारियों एवं कर्मचारियों की जिन्हें वह निगम के कृत्यों के दक्षतापूर्ण पालन हेतु आवश्यक समझता है, नियुक्ति कर सकता है तथा सरकार के पूर्व अनुमोदन से उनकी सेवा शर्तें एवं निबन्धन भी निर्धारित कर सकता है।

निगम का कर्मचारी वर्ग।

समितियां । 11. इस सम्बन्ध में बनाए गये नियमों के अध्वधीन रहते हुए, बोर्ड समय-समय पर अपने कृत्यों के दक्षतापूर्ण पालन के लिए एक या अधिक समितियां नियुक्त कर सकता है।

बोर्ड की बैठकें । 12. (1) बोर्ड अथवा उस द्वारा नियुक्त की गई कोई समिति की बैठक ऐसे समय और स्थान पर होगी और अपनी बैठकों में कार्य संपादन के बारे में प्रक्रिया के ऐसे नियम का अनुपालन करेगा जैसे कि इस अधिनियम के अधीन बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियमों द्वारा उपबन्धित किया जाए।

(2) बोर्ड का अध्यक्ष, तथा उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, और दोनों को अनुपस्थिति में कोई अन्य निदेशक जो कि बैठक में उपस्थित निदेशकों द्वारा चुना गया हो, बैठक की अध्यक्षता करेगा।

(3) बोर्ड की बैठकों के लिए छः निदेशक पूरक-संख्या (कोरम) होगी:

परन्तु स्थगित बैठकों के लिए पूरक-संख्या की आवश्यकता नहीं होगी।

(4) सभी प्रश्न, जो बोर्ड की किसी बैठक में प्रस्तुत हों, मतदान द्वारा उपस्थित एवं मत देने वाले निदेशकों के बहुमत से विनिश्चित किए जायेंगे, तथा, यथा-स्थिति, समान मत होने की स्थिति में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष अथवा दोनों की अनुपस्थिति में अध्यक्षता करने वाले निदेशक का द्वितीय अथवा निर्णायक मत होगा और वह उसका प्रयोग करेगा।

अध्यक्ष अथवा प्रबन्ध निदेशक 13. बोर्ड, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, विनियम बनाने की शक्ति के सिवाए इस अधिनियम के अन्तर्गत अपनी शक्तियां और कर्तव्यों में से जिन्हें प्रत्यायोजित करना वह आवश्यक समझे, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष अथवा प्रबन्ध निदेशक अथवा उस द्वारा नियुक्त किसी समिति अथवा निगम के किसी अन्य अधिकारी अथवा कर्मचारी को ऐसी शर्तों तथा परिसीमाओं के, जैसे कि विनिर्दिष्ट की जाएं, यदि कोई हो, अध्वधीन प्रत्यायोजित कर सकेगा।

तथा कर्म-चारियों की शक्तियों का प्रत्यायोजन।

आकस्मिक रिक्तियां । 14. (1) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष अथवा प्रबन्ध निदेशक अथवा धारा 7 की उप-धारा (1) के खण्ड (ड) में निर्दिष्ट कोई निदेशक किसी भी समय सरकार को लिखित रूप में सूचना देकर अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है तथा ऐसे त्यागपत्र को स्वीकार किए जाने पर उसके द्वारा अपना पद रिक्त किया गया समझा जायेगा।

(2) यदि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष अथवा प्रबन्ध निदेशक अथवा धारा 7 की उप-धारा (1) के खण्ड (ड) में निर्दिष्ट किसी निदेशक का पद उसकी मृत्यु होने अथवा त्यागपत्र देने के कारण अथवा अन्यथा रिक्त होता है तो ऐसी रिक्ति सरकार द्वारा यथा-स्थिति, नियुक्ति अथवा नामांकन द्वारा भरी जायेगी।



## अध्याय IV

### निगम के कृत्य तथा निधि

15. (1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, राज्य में भूत-पूर्व सैनिकों का कल्याण तथा उनका आर्थिक उत्थान करना निगम के कृत्य होंगे।

(2) पूर्ववर्ती उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निगम ऐसे पग उठा सकता है जैसे कि वह आवश्यक समझे,—

- (i) स्वयं या निगम द्वारा अनुमोदित भूतपूर्व सैनिकों के संगठनों या अन्य अभिकरणों के सहयोग से और इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा अनुमोदित कृषि विकास विपणन, प्रसंस्करण, कृषि उत्पादन की आपूर्ति तथा संग्रहण, लघु उद्योग, भवन-निर्माण, परिवहन और इस प्रकार के अन्य कारोबार, व्यापार या अन्य गतिविधियों से सम्बन्धित कार्यक्रमों को आयोजित, संप्रवर्तित और प्रारम्भ करना;
- (ii) भूतपूर्व सैनिकों अथवा उनके संगठनों को नकद अथवा वस्तु रूप में ऋण, जिनमें भाटक-क्रय पद्धति के अन्तर्गत ऋण आते हैं, दे कर/अथवा खण्ड (i) में निर्दिष्ट किसी प्रयोजन के लिए उधार प्रतिभूति अन्तर्धन के प्रति सीधे अथवा ऐसे अभिकरण, संगठन अथवा संस्था के माध्यम से जो कि निगम द्वारा अनुमोदित हो ऋण दे कर वित्तीय सहायता प्रदान करना;
- (iii) भूतपूर्व सैनिकों अथवा उनके संगठनों को कृषि अथवा उद्योग सम्बन्धी मशीनों अथवा उपकरण किराये पर देना;
- (iv) भूतपूर्व सैनिकों तथा उनके संगठनों को अनुदान तथा आर्थिक सहायता देना तथा उन द्वारा लिए गए ऋणों की प्रत्याभूति देना;
- (v) अन्य ऐसे कृत्यों, जोकि विहित किए जाएं, या जो इस अधिनियम के अधीन इस को सौंपे गए कृत्यों में से किसी की पूर्ति करते हों या प्रासंगिक हों अथवा परिणामिक हों, को करना।

(3) निगम अपने कृत्यों के निर्वहन करते समय जनहित तथा अपनी शोधक्षमता तथा भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण की ओर उचित ध्यान देगा।

16. (1) इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन करने के प्रयोजन के लिए निगम को—

- (क) सरकार द्वारा ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर जोकि सरकार निर्दिष्ट करे या किसी व्यक्ति द्वारा या भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण में हित रखने वाले या कल्याण से सम्बन्धित व्यक्तियों की संस्था द्वारा ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर जोकि निगम और ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों की संस्था के बीच पारस्परिक समझौता द्वारा करार पाई गई हो, पूंजी प्रदान की जा सकती है;
- (ख) निगम सरकार की पूर्व अनुमति से तथा सरकार के निर्देशों के अध्यधीन रहते हुए किसी बैंक अथवा अन्य वित्तीय संस्था अथवा किसी प्राधिकरण या संगठन से धन राशि उधार ले सकता है;

निगम की पूंजी तथा इसके उधार लेने, अथवा बन्ध-पत्र लेने, तथा ऋण-पत्र इत्यादि जारी करने की शक्ति।

(ग) निगम बन्ध-पत्र तथा ग्रहण-पत्र जारी कर सकता है, अथवा बचन-पत्र, विनिमय-पत्र, हुंडियां, विपत्र, अधिपत्र ऋणपत्र, तथा अन्य परचाम्य संलेख लिख, बना, स्वीकार, पृष्ठांकित, भुना, निष्पादित और जारी कर सकता है।

(2) निगम द्वारा उप-धारा (1) के अन्तर्गत उधार ली गई राशि की तथा उस पर व्याज की अदायगी के लिए सरकार प्रत्यभूत दे सकती है।

भूतपूर्व  
सैनिक नि-  
गम निधि।

17. (1) निगम ऐसी भूतपूर्व सैनिक निगम निधि के नाम से निधि (जिसे इसमें आगे "निधि" कहा गया है) चलायेगा जिसमें निम्नलिखित धन राशियां जमा कराई, जाएंगी :--

- (क) सरकार अथवा भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण में रुचि रखने वाले किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों की संस्था से प्राप्त समस्त धनराशि ;
- (ख) निधि से दिए गए ऋणों की पुनः अदायगी के रूप में या ऋणों पर व्याज से समय-समय पर वसूल की गई समस्त धनराशियां ;
- (ग) धारा 16 के अधीन उधार लिया गया समस्त धन ; तथा
- (घ) इसके द्वारा किसी अन्य स्रोत से प्राप्त समस्त धन ।

(2) निधि में जमा धन निगम द्वारा इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग में लाया जाएगा ।

(3) निधि में जमा समस्त धन भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की द्वितीय अनुसूची में तत्समय सन्निहित बैंक में अथवा सरकारी खजाने में, जैसा निगम द्वारा विनिश्चित किया जाए, जमा करवाया जाएगा : 1934 का 2

परन्तु निगम अपनी अतिरिक्त निधियों का सरकारी प्रतिभूतियों में अथवा अन्य ऐसी रीति से, जैसे कि निगम विनिश्चित करे, विनिहित अथवा जमा करवा सकता है ।

## अध्याय V

### ऋण

18. इस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत ऋण देते समय, निगम ऐसी शर्तें अधिरोपित कर सकता है जैसी कि वह निगम के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक या उपयुक्त समझे :

परन्तु ऐसे ऋणों पर व्याज ऐसी रियायती दरों पर प्रभावी होगा, जसी निगम द्वारा सरकार की पूर्व अनुमति से समय-समय पर निश्चित की जाए ।

ऋणों के  
लिए शर्तें  
अधिरोपित  
करने की  
शक्ति ।

19. किसी इकरार में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, निगम लिखित सूचना देकर किसी ऋणी को अपनी सम्पूर्ण देयता निगम को तुरन्त चुकाने की अपेक्षा कर सकता है—

इकरार की प्रवधि से पूर्व भुगतान वापिस लेने की शक्ति।

(क) यदि निगम को यह प्रतीत होता है कि ऋण आवेदन-पत्र में किसी प्रकार की मिथ्या अथवा भ्रामक सूचना अथवा विवरण दिया गया है ;

(ख) यदि ऋणी निगम के साथ किए गए किसी करारनामों की निबन्धनों का अनुपालन करने में असफल रहा हो ;

(ग) यदि युक्तियुक्त आशंका हो कि ऋणी, उसके द्वारा देय राशि का भुगतान करने में असमर्थ है; तथा

(घ) यदि किसी अन्य कारण से निगम के हितों की रक्षा करने के लिए ऐसा करना आवश्यक हो।

20. (1) जहां कोई भी राशि निगम द्वारा दिये गए ऋणों, अग्रिमों या अन्य वित्तीय अनुकूलन के सम्बन्ध में ऋणी के प्रतिभूसहित किसी व्यक्ति से निगम को देय है तो ऐसी राशि प्रबन्ध निदेशक द्वारा विहित फार्म पर दिए गए प्रमाण-पत्र पर उस जिला के कलेक्टर द्वारा जिसमें ऐसा व्यक्ति, जिस द्वारा धन देय हो, निवास करता हो, व्यापार करता हो, अथवा सम्पत्ति का स्वामी हो, से भू-राजस्व के रूप में वसूली होगी।

निगम को देय धन की वसूली।

(2) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट प्रमाण-पत्र जारी करने से पूर्व प्रबन्ध निदेशक ऐसे अधिकारी को आवेदन करेगा जो निगम के व्यापार से सम्बन्धित न हो, जैसे वह सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में सशक्त किया गया हो, तथा वह अधिकारी सम्बन्धित व्यक्ति की सुनवाई का अवसर देने के बाद आदेश द्वारा निगम को देय राशि अवधारित करेगा तथा उसकी सूचना प्रबन्ध निदेशक को देगा।

(3) उप-धारा (2) के अन्तर्गत सशक्त अधिकारी ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जैसे कि विहित की जाए।

(4) उप-धारा (1) के अधीन प्रबन्ध निदेशक द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र अन्तिम तथा निर्णायक होगा और किसी प्राधिकारी अथवा न्यायालय द्वारा इस पर आपत्ति नहीं उठाई जाएगी।

(5) ऋण के सम्बन्ध में निगम को देय किसी राशि को वसूल करने के प्रयोजन के लिए उसके प्रतिभू के विरुद्ध कार्यवाही करने से पूर्व मूल ऋणी के विरुद्ध कार्यवाही करना आवश्यक नहीं होगा।

ऋणदाता की सम्पत्ति पर निगम का प्रथम भार।

21. तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी, परन्तु संसद द्वारा प्रभारों को अग्रता से सम्बन्धित किसी विधि के उप-बन्धों, तथा भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूलीय किसी धन या भू-राजस्व के विषय में बैंक अथवा सरकार के किसी पूर्व दावे के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम की पूर्ववर्ती धारा के अधीन अवधारित निगम को देय राशि तथा साथ ही उस पर संभूत ब्याज तथा वसूलों को लागत ऋणी तथा प्रत्याभू, यदि कोई हो, की सम्पत्ति पर प्रथम भार होगा।

## अध्याय VI

### लेखा तथा लेखा परीक्षा

लेखा।

22. (1) निगम के लाभ तथा हानि के लेखों सहित तुलन-पत्र अथवा लेखा ऐसे फार्म तथा ऐसी रीति में तैयार किए तथा रखे जाएंगे जैसे कि विहित किया जाए।

(2) निगम अपनी बहियों तथा लेखों का प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को सन्तुलित तथा बन्द करवाएगा।

लेखा परीक्षा।

23. (1) निगम के लेखों की परीक्षा ऐसे लेखा परीक्षकों द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक बार की जाएगी जो कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 226 की उप-धारा (1) के अधीन लेखा-परीक्षक के रूप में कार्य करने के लिए सम्यक रूप से अर्ह लेखा परीक्षक हैं तथा जो निगम द्वारा नियुक्त किए जाएंगे, और वे निगम से ऐसा पारिश्रमिक लेंगे जो कि निगम द्वारा नियत किया जाए।

1956 का 1

(2) लेखा-परीक्षकों को वार्षिक तुलन-पत्र तथा निगम के लाभ तथा हानि के लेखों की एक प्रति दी जाएगी और लेखा-परीक्षकों का कर्तव्य होगा कि वे लेखों की उनसे सम्बन्धित लेखों और वाक्यचरों के साथ जांच करें, तथा निगम द्वारा रखी गई सभी बहियों की उनको सूची दी जाएगी और उचित समयों पर निगम की बहियां, लेखे तथा अन्य दस्तावेज उनको उपलब्ध कराए जाएंगे तथा वे निगम के किसी अधिकारी से ऐसी सूचना मांग सकते हैं जैसे कि लेखा-परीक्षक अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए आवश्यक समझे।

(3) लेखा-परीक्षक निगम के परीक्षित वार्षिक तुलन-पत्र तथा लेखों की रिपोर्ट निगम को देगे और ऐसी प्रत्येक रिपोर्ट में वे यह बतायेंगे कि क्या उनके विचार में तुलन-पत्र एक सही तथा पूरा तुलन-पत्र है जिस में सब आवश्यक व्योरे दिये हुये हैं तथा ऐसे ठीक तरह से तैयार किया गया है कि उसमें निगम के काम-काज की मच्चा और यथार्थ स्थिति प्रदर्शित होती है।

(4) जिस दिनांक को निगम के लेखों बन्द किये गये हों तथा सन्तुलित किए गये हों उस दिनांक से चार मास के भीतर निगम लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट की

प्रति सहित तुलन-पत्र तथा अपने लेखों की प्रति तथा सम्बद्ध वर्ष के निगम के काम-काज की रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत करेगा।

(5) पूर्वगामी उप-धारा में अन्तर्दिष्ट किसी बात पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, सरकार किसी भी समय, निगम के लेखों का परीक्षण तथा उन पर रिपोर्ट करने के लिए किसी अन्य प्राधिकारी को नियुक्त कर सकती है, तथा ऐसे परीक्षण और रिपोर्ट के सम्बन्ध में उपगत खर्च ऐसे प्राधिकारी को निगम द्वारा देय होगा।

(6) उप-धारा (4) तथा (5) में निर्दिष्ट रिपोर्टों की प्रतियां सरकार द्वारा यथाशीघ्र राज्य विधान सभा के समक्ष रखी जाएंगी।

## अध्याय VII प्रकीर्ण

24. (1) इस अधिनियम के अतिरिक्त कम्पनियों अथवा निगमों को बन्द करने, विघटित करने अथवा समापन करने से सम्बन्धित किसी विधि का कोई भी उप-बन्ध निगम पर लागू नहीं होगा।

(2) यदि निगम अपनी शक्तियों का अतिक्रमण करता है, अथवा धारा 23 के अधीन रिपोर्ट मिलने पर राज्य सरकार निगम को यह कारण बताने के लिए कह सकती है कि उसे विघटित क्यों न किया जाए, तथा यदि निर्दिष्ट समय तक कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया जाता, अथवा राज्य सरकार स्पष्टीकरण से यदि सन्तुष्ट नहीं होती, तो वह ऐसी तिथि से जो नियत की जाए निगम को विघटित कर सकती है।

(3) जब निगम को उप-धारा (2) के अधीन विघटित किया जाता है तो,—

- (i) सभी निदेशक विघटन की तिथि से अपने पद रिक्त कर देंगे;
- (ii) विघटन की अवधि के दौरान निगम की सभी शक्तियों एवं कृत्यों का प्रयोग एवं निर्वहन ऐसे व्यक्ति अथवा व्यक्तियों द्वारा किया जायेगा जो राज्य सरकार द्वारा इस सन्दर्भ में नियुक्त किए जाएं ;
- (iii) निगम में निहित सभी निधियां तथा अन्य सम्पत्ति विघटन की अवधि के दौरान राज्य सरकार में निहित होंगी। सरकार स्वेच्छा से निगम की उस कालावधि के पश्चात्, जिसे वह उचित समझे, पुनर्गठित कर सकती है।

25. यदि कोई निदेशक बोर्ड या बोर्ड की किसी समिति की बैठक में विचारार्थ आने वाले किसी विषय में कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आर्थिक हित रखता हो तो वह प्रासंगिक परिस्थितियों का ज्ञान होने के पश्चात् यथाशीघ्र ही ऐसी बैठक

निदेशक  
कुछ मामलों  
में भाग नहीं  
लेगे।



में अपने हित का स्वरूप बतायेगा तथा यह प्रकटन, यथास्थिति, बोर्ड या समिति, की कार्यवाही में लिखा जाएगा, तथा वह निदेशक उस विषय से सम्बन्धित बोर्ड या समिति के निर्णय या किसी विचार-विमर्श में भाग नहीं लेगा।

**अधिकारिता का वर्जन।** 26. इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से उप-बन्धित के सिवाय किसी सिविल न्यायालय को किसी ऐसे विषय के सम्बन्ध में कोई वाद या कार्यवाही को ग्रहण करने की अधिकारिता नहीं होगी, जिसका निर्णय करने के लिए इस अधिनियम के अधीन या द्वारा निगम अथवा इस अधिनियम के अधीन नियुक्त कोई अधिकारी या प्राधिकारी सशक्त हो तथा इस अधिनियम के अधीन या द्वारा प्रदत्त किसी भी शक्ति के अन्सरण में की गई या की जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में किसी भी न्यायालय अथवा अन्य प्राधिकारी द्वारा कोई निषेधाज्ञा नहीं दी जायेगी।

**सद्भाव पूर्वक की गई कार्यवाही के लिए परित्राण।** 27. इस अधिनियम के अधीन निगम अथवा किसी निदेशक या किसी अधिकारी या कर्मचारी या इस अधिनियम के अधीन किसी कृत्य के निर्वहन के लिए बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध उसके द्वारा इस अधिनियम के अन्सरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिये अभिप्रेत कार्यवाही से हुई अथवा होने वाली किसी क्षति अथवा हानि के लिए कोई भी वाद अथवा अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी।

**कर्मचारी लोक सेवक होंगे।** 28. भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 के तात्पर्य के अन्तर्गत निगम के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रबन्ध निदेशक, निदेशक तथा अन्य कर्मचारी लोक सेवक समझे जायेंगे। 1860 का 45

**निदेशक की क्षतिपूर्ति।** 29. (1) प्रत्येक निदेशक को, उसके कर्तव्यों के निर्वहन में उसके द्वारा उपगत सभी हानियों और व्ययों का बावत, जो उसके जान-बूझकर किये गए कार्यों या व्यतिक्रम से न हुये हों, निगम द्वारा क्षति पूर्ति की जायगी।

(2) कोई निदेशक निगम के किसी अन्य निदेशक के लिये या किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी के लिये या निगम की किसी ऐसी हानि या व्यय के लिये जो किसी ऋणी की सद्भावपूर्वक की गई किसी बात, दिवालिए या उसके सदोष कार्य से निगम की ओर से अर्जित की गई या ली गई किसी सम्पत्ति या प्रतिभूति के मूल्य या उसमें हक की अपर्याप्तता या कमी के, अथवा निगम के प्रति बाध्यता-धीन किसी व्यक्ति के सदोष कार्य के, अथवा अपने पद के या उससे सम्बन्धित कर्तव्यों के निष्पादन में सद्भावपूर्वक की गई किसी बात के, फलस्वरूप हो, उत्तरदायी नहीं होगा।

**पंजीकरण शुल्क तथा स्टाम्प ड्यूटी से मुक्त होंगे।** 30. निगम द्वारा अथवा निगम की ओर से इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन में निष्पादित सभी प्रलेख स्टाम्प ड्यूटी तथा पंजीकरण शुल्क की अदायगी से मुक्त होंगे:

परन्तु स्टाम्प ड्यूटी से छूट केवल ऐसे प्रलेखों के मामलों में ही होगी जहां राज्य विधान मण्डल स्टाम्प ड्यूटी की दरों से सम्बन्धित विधान बनाने में सक्षम है।

31. इस अधिनियम को कार्यसाधक रूप में प्रभावी करने के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों का निगम पालन करेगा।

सरकार की निर्देश देने की शक्ति।

32. (1) बोर्ड सरकार की पूर्व अनुमति से, और धारा 33 के अधीन सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अध्याधीन रहते हुए, उन सब बातों के लिये उपबन्ध करने की, जिनके लिये उपबन्ध किया जाना इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने के प्रयोजन के लिये आवश्यक या समीचीन हो, ऐसे विनियम बना सकेगा जो इस अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों से असंगत न हों।

विनियम बनाने की शक्ति।

(2) विशिष्टतया तथा पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियम निम्नलिखित के लिए उपबन्धित कर सकेंगे :—

- (क) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक द्वारा निर्वहन किये जाने वाले कृत्य ;
- (ख) बोर्ड तथा इस द्वारा नियुक्त की गई समितियों की बैठकों का समय तथा स्थान तथा ऐसी बैठकों के सम्बन्ध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया ;
- (ग) वे शर्तें एवं प्रक्रिया जो निगम द्वारा ऋण देते, उधार प्रतिभूति धन प्रदान करते या अन्य प्रबन्ध करते समय अधिरोपित की जाएंगी या अपनाई जायेगी ;
- (घ) निगम के अधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों के कर्तव्य तथा आचरण ;
- (ङ) निगम के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के लिये भविष्य निधियों तथा अन्य लाभकारी निधियों का गठन तथा उन्हें बनाये रखना ; तथा
- (च) सामान्यतः निगम के क्रिया-कलापों का कुशल संचालन।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया कोई भी विनियम तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि शासकीय राजपत्र में प्रकाशित नहीं हो जाता।

33. (1) सरकार इस अधिनियम के सब प्रयोजनों या उसमें से किसी प्रयोजन के लिए, अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी।

नियम बनाने की शक्ति।

(2) विशिष्टतया तथा पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित समस्त अथवा किन्हीं भी विषयों के लिए उपबन्ध किया जा सकेगा,—

- (क) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक की, उनके वेतन एवं भत्तों सहित, नियुक्ति की शर्तें तथा निबन्धन ;
- (ख) धारा 7 की उप-धारा (1) के खण्ड (ङ) में निर्दिष्ट निदेशकों की, उनके वेतन तथा भत्तों सहित, नियुक्ति की शर्तें तथा निबन्धन ;
- (ग) वे परिस्थितियाँ जिनके अधीन अध्यक्ष, उपाध्यक्ष अथवा प्रबन्ध निदेशक या धारा 7 की उप-धारा (1) के खण्ड (ङ) में निर्दिष्ट निदेशक को उसके कार्यकाल के दौरान पद से हटाया जा सकेगा ;
- (घ) धारा 15 की उप-धारा (2) में उपवर्णित कृत्यों के साथ-साथ अन्य कृत्य जो निगम द्वारा किये जा सकेंगे ;

- (ड) प्ररूप जिसके अनुसार प्रबन्ध निदेशक द्वारा, प्रमाण-पत्र दिया जाएगा तथा प्रक्रिया जो कि राशि अवधारित करने के लिए अपनाई जाएगी ;
- (च) प्रभार की प्राथमिकता के प्रयोजन के लिए धारा 21 के अधीन वित्तीय संस्थाएं ;
- (छ) प्ररूप तथा रीति जिसके अनुसार लेखे रखे जायेंगे तथा तुलन-पत्र एवं लाभ-हानि लेखा तैयार किया जायेगा ; तथा
- (ज) कोई अन्य मामला जो विहित किया जाना है या किया जाए ।

(3) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र विधान सभा के समक्ष उस समय जब वह सत्र में हो, कुल मिलाकर दस दिन की कालावधि के लिए, जो कि एक सत्र में या दो अथवा अधिक क्रमवर्ती सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, रखा जायेगा और यदि उस सत्र के, जिस में वह ऐसे रखा गया हो या पूर्वोक्त सत्रों के अवसान से पूर्व विधान सभा नियम में कोई उपान्तर करती है अथवा निर्णय लेती है कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात्, यथास्थिति, वह नियम, ऐसे उपान्तरित रूप में ही प्रभावी होगा, या उसका कोई भी प्रभाव नहीं होगा, किन्तु इस प्रकार का ऐसा कोई उपान्तर या बातिलकरण उस नियम के अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा ।

कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति । 34. यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो सरकार, शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबन्ध कर सकेगी अथवा ऐसे निर्देश दे सकेगी जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों तथा जो इस प्रकार की कठिनाई के निराकरण के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों ।

# THE HIMACHAL PRADESH EX-SERVICEMEN CORPORATION ACT, 1979

(Authoritative English Text of the Himachal Pradesh Bhutpurb Sainik Adhiniyam, 1980)

AN  
ACT

*to provide for the establishment of the Himachal Pradesh Ex-servicemen Corporation.*

It is hereby enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Thirtieth Year of the Republic of India as follows:—

## CHAPTER I PRELIMINARY

1. (1) This Act may be called the Himachal Pradesh Ex-servicemen Corporation Act, 1979.

Short title  
and com-  
mencement.

(2) It shall come into force on such date as the State Government may by notification in the Official Gazette appoint in this behalf.

2. In this Act, unless there is anything repugnant in the subject or context,— Definitions.

(a) “agricultural development” includes development of dairy, poultry, piggery, sheep and cattle breeding, pisciculture and sericulture;

(b) “Bank” means;—

(i) a banking company as defined in the Banking Regulation Act, 1949,

(ii) the State Bank of India constituted under the State Bank of India Act, 1955,

(iii) a subsidiary bank as defined in the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959,

(iv) a Regional Rural Bank established under the Regional Rural Banks Act, 1976,

(v) a corresponding new bank constituted under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970,

(vi) any banking institution notified by the Central Government under section 51 of the Banking Regulation Act, 1949,

(vii) the Agricultural Refinance and Development Corporation constituted under the Agricultural Refinance and Development Corporation Act, 1963,

(viii) the Agro-Industries Corporation as defined in clause (c) of section 2 of the Himachal Pradesh Agricultural Credit Operations and Miscellaneous Provisions (Banks) Act, 1972,

(ix) the Agricultural Finance Corporation Limited, a company incorporated under the Companies Act, 1956, and

10 of 1949

23 of 1955

38 of 1959

21 of 1976

5 of 1970

10 of 1949

10 of 1963

1 of 1973

1 of 1956

- (x) any other financial institution notified by the State Government in the Official Gazette as bank for the purposes of this Act;
- (c) "Board" means the Board of Directors of the Corporation;
- (d) "Chairman" and "Vice-Chairman" means the Chairman and Vice-Chairman of the Corporation;
- (e) "Corporation" means the Himachal Pradesh Ex-servicemen Corporation, established under section 3,
- (f) "Ex-servicemen" means a person who is ordinarily residing in the State of Himachal Pradesh and has served in any rank, whether as combatant or non-combatant, in the Indian armed forces or armed forces of the former Indian States (but excluding the Assam Rifles, Defence Security Corps, General Reserve Engineering Force, Lok Sahayak Sena and Territorial Army for a continuous period of not less than six months after attestation and has been released, otherwise than by way of dismissal or discharge on account of misconduct or inefficiency, and in the case of a deceased or incapacitated ex-servicemen includes his wife, children, father, mother, minor brother, widowed daughter and widowed sister, wholly dependent upon such ex-servicemen immediately before his death or incapacitation;
- (g) "Ex-servicemen Organisation" means a firm registered under the Indian Partnership Act, 1932, an association registered under the Societies Registration Act, 1860, or a Co-operative Society registered under the Himachal Pradesh Co-operative Societies Act, 1968 all the partners or members whereof, as the case may be, are ex-servicemen; 9 of 1932  
21 of 1860  
3 of 1969
- (h) "Government" means Government of the State of Himachal Pradesh;
- (i) "Managing Director" means the Managing Director of the Corporation;
- (j) "margin money" means the money required as the share of the beneficiary for granting financial assistance by the financial/banking institutions and other organisations;
- (k) "marketing" means all activities relating to the transport, grading, pooling, marketing and sale of agricultural or industrial produce, whether in the primary form or in semi-processed or processed form;
- (l) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;
- (m) "processing" means all activities relating to the processing of agricultural produce so as to make it marketable or fit for consumption and includes purchase and storage of raw materials, purchase of equipment, and purchase, installation and running of machinery required for processing and storage of finished produce;
- (n) "small scale industry" means a cottage and small-scale industry and includes industry engaged in fabrication, repairs and maintenance of agricultural machinery and equipment, in which capital investment does not exceed five lacs of rupees; and
- (o) "supply and storage" means supply and storage of agricultural inputs and establishment, maintenance and running of storages, cold storages and warehouses.



## CHAPTER II

### INCORPORATION OF HIMACHAL PRADESH *EX*-SERVICE-MEN CORPORATION AND ITS CAPITAL

3. (1) With effect from such date as the Government may, by notification, appoint, there shall be established for the purpose of this Act, a Corporation to be known as the Himachal Pradesh *Ex*-servicemen Corporation.

Establishment of Himachal Pradesh *Ex*-servicemen Corporation.

(2) The Corporation shall be a body corporate with the name aforesaid having perpetual succession and common seal with powers, subject to the provisions of this Act, to acquire, hold and dispose of property and to contract, and may, by that name, sue and be sued.

4. (1) The head office of the Corporation shall be at Simla or at such other place as the Government may, by notification, specify.

Head office and other offices of the Corporation.

(2) The Corporation may establish its offices or agencies at such places as it may think fit.

5. The authorised capital of the Corporation shall be such sum not exceeding two crores of rupees as the Government may initially fix:

Capital of Corporation.

Provided that where the capital initially fixed is less than two crores of rupees, the Government may, from time to time, increase the capital to such sum not exceeding two crores of rupees as it may think fit.

*Explanation.*—The expression “authorised capital” for the purposes of this section shall not include the grant-in-aid received by the Corporation for specific purposes.

## CHAPTER III

### MANAGEMENT OF THE CORPORATION

6. (1) The general superintendence, direction and management of the affairs and the business of the Corporation shall vest in a Board of Directors which may exercise all such powers and do all such acts and things as may be exercised or done by the Corporation.

Management.

(2) The Board in discharging its functions shall act on such principles which shall be in consonance with the policy of the Government having regard to public interest, welfare of *ex*-servicemen/serving soldiers and their families and shall be guided by such instructions on question of policy as may be given to it by the State Government.

(3) If any doubt arises as to whether a question is or is not a question of policy, the decision of the State Government shall be final.

7. (1) The Board of Directors shall consist of the Chairman, Vice-Chairman, the Managing Director and the following other directors, namely:—

Constitution of Board.

- (a) the Secretary to the Government in the General Administration Department or his nominee, *ex-officio*;
- (b) the Secretary to Government in the Finance Department or his nominee, *ex-officio*;

- (c) the Agricultural Production Commissioner, Himachal Pradesh or his nominee, *ex-officio*;
- (d) the Director of Industries, Himachal Pradesh or his nominee, *ex-officio*;
- (e) four other Directors to be nominated by the Government two of whom may be representatives of *ex-servicemen* organisation other than a Co-operative Society and one to be a representative of the co-operative societies of *ex-servicemen*.

(2) The Chairman shall be a person who is an *ex-servicemen* and was holding a class-I post while in service. The Vice-Chairman shall be a non-Official person and the Managing Director shall be a person who is or has been a class-I officer of the State Government or Central Government and they may be appointed by the Government on such terms and conditions, including salary and allowances, as may be prescribed.

(3) The terms and conditions of service, including salaries and allowance of the directors referred to in clause (c) of sub-section (1) shall be such as may be prescribed.

(4) The term of office of the Chairman, the Vice-Chairman, the Managing Director and the Directors referred to in clause (e) of sub-section (1) shall be two years and they shall be eligible for re-appointment.

(5) The circumstances under which the Chairman, the Vice-Chairman, the Managing Director and the other Directors referred to in clause (e) of sub-section (1) shall be removable during the term of their office, shall be such as may be prescribed.

Disqualifi-  
cations.

8. (1) A person shall be disqualified for being appointed or nominated, or for continuing, as a Director of the Corporation,—

- (a) if he is or at any time has been adjudicated insolvent or has suspended payment of his debts or has compounded with his creditors;
- (b) if he is of unsound mind and stands so declared by a competent court;
- (c) if he is or has been convicted of any offence which in the opinion of the Government involves moral turpitude;
- (d) if he, having held any office under the State Government or Central Government, any local authority, any Government company or any corporate body owned or controlled by the State Government or Central Government, has been removed or dismissed from service; or
- (e) if he has been removed by the Government.

(2) If a Director becomes subject to any disqualification specified in sub-section (1) his seat shall thereupon become vacant.

9. (1) The Managing Director, who shall be a whole-time officer of the Corporation, shall—

- (a) be its Chief Executive Officer;
- (b) be responsible for the operational management of the Corporation and implementation of the general policies approved by the Corporation;

Powers of  
the Mana-  
ging Dire-  
ctor.

(c) perform such duties as the Corporation may, by regulations or otherwise, assign to him.

(2) If the Managing Director is by infirmity or otherwise rendered incapable of carrying out his duties or is absent on leave or otherwise, in circumstances not involving the vacation of his appointment, the Government may appoint another person to act in his place during his absence.

10. The Board may appoint such officers and employees as it may consider necessary for the efficient performance of functions of the Corporation and determine, with the prior approval of the Government the terms and conditions of their service.

Staff of  
the Corporation.

11. Subject to the rules made in this behalf the Board may, from time to time, appoint one or more committees for the purpose of securing the efficient discharge of its functions.

Committees.

12. (1) The Board or any committee appointed by it shall meet at such times and places and shall observe such rules or procedure in regard to the transaction of business at its meetings as may be provided by the regulations made by the Board under this Act.

Meetings  
of the  
Board.

(2) The Chairman, and in his absence the Vice-Chairman, and in the absence of both any other director elected by the directors from amongst themselves, shall preside at the meeting of the Board.

(3) Six Directors shall form a quorum for the meetings of the Board:

Provided that no quorum shall be necessary for adjourned meetings.

(4) All questions which come up before any meeting of the Board shall be decided by a majority of votes of the Directors present and voting and in the event of an equality of votes, the Chairman, the Vice-Chairman or the person presiding, as the case may be, shall have and exercise a second or casting vote.

13. The Board may, by a general or special order, delegate to the Chairman, the Vice-Chairman or the Managing Director or any committee appointed by it or any other officer or employee of the Corporation subject to such conditions and limitations, if any, as may be specified, such of its powers and duties under this Act, except the power to make regulations, as it may deem necessary.

Delegation  
of powers  
to the  
Chairman  
or the  
Managing  
Director  
and other  
officers  
and employees.

14. (1) The Chairman, the Vice-Chairman or the Managing Director or any director referred to in clause (e) of sub-section (1) of section 7 may, at any time, resign his office by giving a notice in writing to the Government and on such resignation being accepted he shall be deemed to have vacated his office.

Casual  
vacancies.

(2) If the office of the Chairman, the Vice-Chairman or the Managing Director or any director referred to in clause (e) of sub-section (1) of section 7 falls vacant by reason of his death, resignation or otherwise the vacancy shall be filled by the Government by appointment or nomination, as the case may be.

# CHAPTER IV

## FUNCTIONS AND FUND OF THE CORPORATION

Functions  
of the  
Corpora-  
tion.

15. (1) Subject to the provisions of this Act, the functions of the Corporation shall be to provide for the welfare and economic uplift of the *ex-servicemen* in the State.

(2) Without prejudice to the generality of the foregoing provisions, the Corporation may take such steps as it may think necessary—

- (i) to plan, promote and undertake, on its own or in collaboration with or through such *ex-servicemen* organisations or other agencies as may be approved by the Corporation, programmes of agricultural development, marketing, processing, supply and storage of agricultural produce, small scale industry, building construction, transport and such other business, trade or activity as may be approved in this behalf by the Government;
- (ii) to provide financial assistance to *ex-servicemen* or their organisations by advancing to them in cash or in kind loans including loans under hire-purchase system and/or loan towards margin money for any of the purposes specified in clause (i) either directly or through such agency, organisation or institution as may be approved by it;
- (iii) to give on hire agricultural or industrial machinery or equipment to *ex-servicemen* or their organisation;
- (iv) to give grants and subsidies to and to guarantee loans taken by, the *ex-servicemen* or their organisation;
- (v) to discharge such other functions as may be prescribed or as are supplemental, incidental or consequential to any of the functions conferred on it under this Act.

(3) In discharging its functions, the Corporation shall have due regard to public interest, its solvency and welfare of *ex-servicemen*.

Capital of  
the Corpo-  
ration and  
its power  
to borrow  
or issue  
bonds and  
debentures,  
etc.

16. (1) For the purpose of carrying out its functions under this Act, the Corporation may—

- (a) be provided with capital by the Government on such terms and conditions as the Government may specify, or by any person or association of person or association of persons interested in or dealing with the welfare of *ex-servicemen* on such terms and conditions as may be mutually agreed upon between the Corporation and such person or association of persons;
- (b) with the previous approval of, and subject to the directions of the Government, borrow money from any bank or other financial institution or any other authority or organisation;
- (c) issue bonds and debentures or draw, make, accept, endorse, discount, execute and issue promissory notes, bills of exchange, hundies, bills, warrants, debentures and other negotiable instruments.

(2) The Government may guarantee the repayment of the moneys borrowed by the Corporation under sub-section (1) and the payment of interest thereon.

17. (1) The Corporation shall maintain a Fund called the *ex-servicemen Corporation Fund* (hereinafter referred to as the Fund) to which shall be credited—

*Ex-servicemen Corporation Fund.*

- (a) all moneys received by it from the Government or from any person or association of persons interested in or dealing with the welfare of *ex-servicemen*;
- (b) such sums of money as may, from time to time, be realized by way of repayment of loans made from the fund or from interest on loans;
- (c) all moneys borrowed under section 16; and
- (d) all moneys received by it from any other source.

(2) The moneys in the Fund shall be applied by the Corporation for carrying out its functions under this Act.

(3) All moneys in the fund shall be deposited in the bank for the time being included in the Second Schedule to the Reserve Bank of India Act, 1934, or in a Government Treasury, as may be decided by the Corporation:

2 of 1934

Provided that the Corporation may invest or deposit its surplus funds in the Government securities or in such other manner as it may decide.

## CHAPTER V

### LOANS

18. In making any loan authorised by this Act, the Corporation may impose such conditions as it may think necessary or expedient for protecting the interests of the Corporation:

Power to impose conditions for loans.

Provided that interest on such loan shall be chargeable at such concessional rates as may, from time to time, be fixed by the Corporation with the prior approval of the Government.

19. Notwithstanding anything to the contrary contained in any agreement, the Corporation may, by notice in writing, require any debtor to discharge forthwith in full his liabilities to the Corporation—

Power to call repayment before agreed period.

- (a) if it appears to the Corporation that any false or misleading information or particular was given in the application for loan;
- (b) if the debtor has failed to comply with any of the terms of the agreement entered into by him with the Corporation;
- (c) if there is a reasonable apprehension that the debtor is unable to pay the money due from him; or
- (d) if for any other reason it is necessary to do so to protect the interests of the Corporation.

20. (1) Where any amount is due to the Corporation from any person, including the surety of a debtor, in respect of loans or advances or other financial accommodation granted by it, such amount shall, on a certificate being granted by the Managing Director in the prescribed form, be recoverable as arrears of land revenue by the Collector of the district in which the person from whom the amount is due resides or carries on business or owns any property.

Recovery of money due to the Corporation.



(2) Before issuing the certificate referred to in sub-section (1) the Managing Director shall make an application to such officer, unconnected with the business of the Corporation, as may be empowered by the Government in this behalf, and that officer shall by an order determine the amount due to the Corporation after giving an opportunity of being heard to the person concerned and communicate the same to the Managing Director.

(3) The officer empowered under sub-section (2) shall follow such procedure as may be prescribed.

(4) The certificate issued by the Managing Director under sub-section (1) shall be final and conclusive and shall not be called in question before any authority or court.

(5) For the purpose of recovering any amount due to the Corporation in respect of a loan it shall not be necessary to proceed against the principal before proceeding against his surety.

First charge  
of Corporation  
on  
debtor's  
property.

21. Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, but subject to the provisions in any law made by the Parliament relating to priority of charges and to any prior claim of a bank or of the Government in respect of land revenue or any money recoverable by it as arrears of land revenue, the dues of the Corporation as determined under the preceding section of this Act together with interest accrued thereon and cost of recovery shall be the first charge on the property of the debtor and guarantor, if any.

## CHAPTER VI

### ACCOUNTS AND AUDIT

Accounts.

22. (1) The balance-sheet and accounts including the profit and loss accounts of the Corporation shall be prepared and maintained in such form and manner as may be prescribed.

(2) The Corporation shall cause its books and accounts to be balanced and closed on the thirty-first day of March each year.

Audit.

23. (1) The accounts of the Corporation shall be audited once in every financial year by auditors duly qualified to act as auditors under sub-section (1) of section 226 of the Companies Act, 1956, who shall be appointed by the Corporation and shall receive such remuneration from the Corporation as it may fix.

1 of 1956

(2) The auditors shall be supplied with a copy of the annual balance sheet and the profit and loss account of the Corporation and it shall be their duty to examine them together with the accounts and vouchers relating thereto, and they shall have a list delivered to them of all books kept by the Corporation and shall at all reasonable times have access to the books, accounts and other documents of the Corporation and may require from any office of the Corporation such information as the auditors may think necessary for the performance of their duties as auditors.

(3) The auditors shall make a report to the Corporation upon the annual balance-sheet and accounts examined by them and in every such report they shall state whether, in their opinion, the balance-sheet is full and fair balance-sheet containing all necessary particulars and properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of the state of affairs of the Corporation.

(4) The Corporation shall furnish to the Government, within four months from the date on which its accounts are closed and balanced, a copy of its balance-sheet and accounts together with a copy of the auditor's report, and a report on the working of the Corporation during the relevant year.

(5) Without prejudice to anything contained in the preceding sub-section, the Government may, at any time, appoint any other authority to examine and report upon the accounts of the Corporation and any expenditure incurred in connection with such examination and report shall be payable by the Corporation to such authority.

(6) Copies of the reports referred to in sub-sections (4) and (5) shall be laid by the Government, as soon as may be, before the State Legislature.

## CHAPTER VII

### MISCELLANEOUS

24. (1) No provision of law other than this Act, relating to the winding up, dissolution or liquidation of the companies or corporations shall apply to the Corporation. Dissolution  
of  
Corporation.

(2) The State Government may, if the Corporation exceeds its powers, or upon receipt of a report under section 23, call upon the Corporation to show cause why it should not be dissolved, and if no explanation is offered within the specified period, or if the State Government is not satisfied with the explanation, it may dissolve the Corporation from such date as may be specified.

(3) When the Corporation is dissolved under sub-section (2) 5:—

- (i) all Directors shall, from the date of dissolution, vacate their offices;
- (ii) all powers and duties of the Corporation shall, during the period of dissolution, be exercised and performed by such person or persons as the State Government may appoint in this behalf;
- (iii) all funds and other property vested in the Corporation shall, during the period of dissolution, vest in the State Government. The Government may, in its discretion, reconstitute the Corporation after such period as it may think fit.

25. A Director who has any direct or indirect pecuniary interest in any matter coming up for consideration at a meeting of the Board or a committee thereof shall, as soon as possible, after the relevant circumstances have come to his knowledge, disclose the nature of his interest at such meeting and the disclosure shall be recorded in the minutes of the Board or the committee, as the case may be, and the Director shall not take any part in any deliberation or decision of the Board or the committee with respect to that matter.

Directors  
not to  
participate  
in certain  
cases.

Bar of Jurisdiction.

26. Save as otherwise expressly provided in this Act, no civil court shall have jurisdiction to entertain any suit or proceeding in respect of any matter which the Corporation or any officer or authority appointed under this Act is empowered by or under this Act to determine, and no injunction shall be granted by any court or other authority in respect of any action taken or to be taken in pursuance of any power conferred by or under this Act.

Protection of action taken in good faith.

27. No suit or other legal proceedings shall lie against the Corporation or any Director or any officer or employee or any other person authorised by the Board to discharge any functions under this Act for any loss or damage caused or likely to be caused by anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of this Act.

Employees to be public servants.

28. The Chairman, the Vice-Chairman, the Managing Director, the Directors and other employees of the Corporation shall be deemed to be public servants within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code.

45 of 1860

Indemnity of Director.

29. (1) Every Director shall be indemnified by the Corporation against all losses and expenses incurred by him in the discharge of his duties except such as are caused by his own wilful act or default.

(2) A Director shall not be responsible for any other Director, or for any officer or other employee of the Corporation or for any loss or expenses resulting to the Corporation from the insufficiency or deficiency of value of, or title to, any property or security acquired or taken on behalf of the Corporation in good faith, or by the insolvency or wrongful act of any debtor or any person under obligation to the Corporation, or anything done in good faith, in the execution of the duties of his office or in relation thereto.

Exemption from registration fee and stamp duty.

30. All documents executed by or on behalf of the Corporation in the course of discharge of its functions under this Act shall be exempted from payment of stamp duty and registration fee:

Provided that exemption from payment of stamp duty shall apply to those documents in relation to rates of stamp duty whereof the State Legislature is competent to legislate.

Power of Government to give directions.

31. The Corporation shall carry out such directions as may, from time to time, be issued to it by the Government for the efficient administration of this Act.

Power to make regulations.

32. (1) The Board may, with the previous approval of the Government and subject to the provisions of the rules to be framed by the Government under section 33, make regulations not inconsistent with this Act and the rules framed thereunder to provide for all matters for which provision is necessary or expedient for the purposes of giving effect to the provisions of this Act.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power such regulations may provide for—

- (a) the duties which the Chairman, Vice-Chairman and the Managing Director shall perform;
- (b) the time and places of meetings of the Board and the Committees appointed by it and the procedure to be followed in relation to such meeting;

- (c) the conditions which may be imposed and the procedure which may be followed in granting loans, providing margin money or entering into other arrangements by the Corporation;
- (d) the duties and conduct of the officers and other employees of the Corporation;
- (e) the establishment and maintenance of provident fund and other benefit funds for the officers and other employees of the Corporation; and
- (f) generally, the efficient conduct of the affairs of the Corporations.

(3) No regulations made under this Act shall have effect until they are published in the Official Gazette.

33. (1) The Government may, by notification, make rules to carry out all or any of the purposes of this Act.

Power to make rules.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely:—

- (a) the terms and conditions of appointment, including salary and allowances of the Chairman, the Vice-Chairman and the Managing Director;
- (b) the terms and conditions of appointment, including salary and allowances of the Directors referred to in clause (e) of sub-section (1) of section 7;
- (c) the circumstances under which the Chairman, the Vice-Chairman or the Managing Director or a Director referred to in clause (e) of sub-section (1) of section 7 shall be removeable during the term of his office;
- (d) other functions which the Corporation may discharge in addition to those mentioned in sub-section (2) of section 15;
- (e) the form in which the certificate shall be granted by the Managing Director and the procedure that shall be observed for determining the amount;
- (f) the financing institutions for the purposes of priority of charge under section 21;
- (g) the form and manner in which accounts shall be maintained and the balance-sheet and profit and loss account shall be prepared; and
- (h) any other matter which is required to be, or may be, prescribed.

(3) Every rule made under this section shall be laid as soon as may be after it is made, before the Legislative Assembly while it is in session for a total period of ten days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and, if before the expiry of the session in which it is so laid or the successive sessions aforesaid, the Assembly makes any modification in the rule or decides that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.

34. If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Government may, by order published in the Official Gazette, make such provisions or give such direction not inconsistent with the provisions of this Act, as may appear to it to be necessary or expedient for the removal of such difficulty.

Power to remove difficulty.

